मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी
योजना एवं कानून

काम की गारंटी

पंचायत एवं विकास श्रृंखला

समावेश का प्रकाशन

(4)
12105
CPHE-CL

समावेश

समावेश एक स्वैच्छिक संस्था है, जो स्वशासन एवं जन विकास के क्षेत्र में काम करती है। समावेश की ऐसे तरीके विकसित करने में दिलचस्पी है, जिनसे स्वशासन और जन विकास से जुड़े नवाचार को बड़े पैमाने पर फैलाया जा सके।

समावेश ने जनभागीदारी पर आधारित विकास एवं शिक्षा का मॉडल विकसित करने की पहल की है। इस सिलसिले में विकास में पंचायत की भूमिका को आंकते हुए संस्था प्रशिक्षण विषयवस्तु एवं तरीके विकसित कर रही है।

इसके अलावा समावेश संस्था सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं के लिए स्रोत दल की भूमिका भी निभाती है। साथ ही संस्था लोगों में जानकारियों के प्रसार तथा जन मुद्दों पर संवाद कायम करने के लिए सरल साहित्य का भी प्रकाशन करती है। यह पुस्तिका इसी श्रृंखला की एक कड़ी है।

- लेखन एवं संपादन
  विश्वम्भर त्रिपाठी, सुंदरसिंह, अनवर जाफरी
- संपाद
  राजेश
- चित्रां
  संस्क
- प्रकाश
  552
- सहये

इस पु ... कता है।
स्रोत

SOCHARA
Community Health
Library and Information Centre (CLIC)
Centre for Public Health and Equity
No. 27, 1st Floor, 6th Cross, 1st Main,
1st Block, Koramangala, Bengaluru - 34
Tel : 080 - 41280009
email : clic@sochara.org / cphe@sochara.org
www.sochara.org

काम की गारंटी

मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को समझने और देखरेख करने के लिए सरल किताब

इस किताब में मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं कानून से जुड़ी जानकारी के मुख्य बिंदुओं को सरल करके दिया गया है। किसी भी तरह की अस्पष्टता होने पर भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा बनाये गये नियम देखें। कहानी में दिये गये नाम काल्पनिक हैं।

अनुक्रमणिका

विषयवस्तु		पेज क्र.
अपनी बात		1
भाग – 1 – काम की गारंटी		2
1.	मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की खास बातें	2
2.	क्या करें काम पाने के लिए	3
भाग – 2 – काम कैसे मिलेगा		5
3.	गांव के सभी परिवारों को काम की गारंटी है	5
4.	काम किसे मिलेगा	7
5.	काम कब मिलेगा	7
6.	काम कहां मिलेगा	7
7.	काम न मिले तो क्या करें	8
भाग – 3 – काम और दाम		10
8.	काम की जगह पर सुविधाएं	10
9.	काम की जगह दुर्घटना होने पर मुआवजा	10
10.	काम के बदले मजदूरी का भुगतान	10
भाग – 4 – काम और निगरानी		13
11.	गांव में क्या क्या काम होंगे	13
12.	मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी योजना में काम की निगरानी	14
13.	सामाजिक आडिट	15
भाग – 5 – काम की योजना बनाना और जरूरी बातें		17
14.	योजना में काम कैसे होता है	17
15.	रोजगार गारंटी योजना में रखे जाने वाले रिकार्ड	17
16.	तकनीकी सहायता एवं मूल्यांकन	18
17.	ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पंचायत की जिम्मेदारी	·
18.	योजना के तहत आने वाली शिकायतें एवं उनके निराकरण की व्यवस्था	19
19.	ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में उपयोग आने वाले आवेदन फार्म के नमूने	21

...ITY HEALTH CELL
LIBRARY AND INFORMATION CENTRE

अपनी बात

मध्यप्रदेश ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून और योजना से गांव के लोगों को रोज़गार का कानूनी हक दिया गया है। खेती में नये औजारों के आने से खेतिहर मज़दूरों को मिलने वाला काम धीरे–धीरे कम हो रहा था। अब इस कानून के बनने के बाद काम के लिए मज़दूरों को अपने गांव से अन्य स्थानों पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे किसान जो अपने खेत और मज़दूरी पर जीवन चलाते हैं, इस योजना के तहत उनको काम तो मिलेगा ही, साथ ही उनकी खेती में सिंचाई के साधन और जमीन में सुधार भी हो सकेगा। योजना की खास बात यह है कि यह एक कानून भी है। इसके तहत काम मांगने वालों को रोज़गार दिलाना प्रशासन के लिए जरूरी है। इस योजना को बंद या कमी करने के लिए देश की संसद को निर्णय लेना होगा।

इस योजना को लागू करने में किन लोगों की क्या जिम्मेदारी रहेगी और किसके क्या अधिकार होंगे, यह पहले से तय है। योजना लागू होने पर गलती किसकी थी, यह पता लगाया जा सकता है। यह योजना गांव के सभी लोगों को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। काम सही तरह से हो व काम की देखरेख के में लोगों की भागीदारी का भी खास ख्याल रखा गया है। गांवों में आवश्यक ज़रूरतों, जल, जंगल, ज़मीन के बचाव और उसके विकास को योजना में उचित स्थान दिया गया है। यह महत्वपूर्ण योजना गांव में सामाजिक बदलाव ला सकती है। पंचायत में चुने हुए लोग, अधिकारी और संवेदनशील कर्मचारी वर्ग एवं गांव के अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर आगे आते हैं तो विकास में तेज़ी आ सकती है। गांव में इस योजना के माध्यम से आने वाला धन सीधे तौर पर पूरे गांव के विकास को निश्चित ही तेज करेगा।

लोगों की जानकारियां बढ़ें और लोगों में विकास के प्रति सही सोच बने। इसी मकसद से हम इस योजना के सम्बंध में आम लोगों तक सही जानकारियां पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे इसे कानून और योजना के बारे में लोगों की पकड़ कायम हो। इस पुस्तिका में रोज़गार गारंटी योजना के विभिन्न हिस्सों, नियम, कायदों को विस्तार से दिया गया है। इस पुस्तिका में सुधार करने या इसे और उपयोगी बनाने के बारे में आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।

जून 2008 — समावेश टीम

भाग-1 - काम की गारंटी

मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

खास बातें

- इस कानून से गांव के हर परिवार को एक साल में 100 दिन के काम का हक मिला है।
- काम के बदले तय की गयी मजदूरी (जिले में निर्धारित दर से) दी जायेगी।
- काम मांगने पर मिलेगा और काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
- कुल काम के दिनों में से एक तिहाई काम के दिन महिलाओं को देना जरूरी है। बूढ़ें एवं विकलांगों को भी काम मिलेगा।
- एक बार में 14 दिन का काम 5 किमी. के दायरे में दिया जायेगा, 5 किमी. से अधिक दूर काम मिलने पर कुल मजदूरी के दसवें हिस्से के बराबर (10 प्रतिशत) ज्यादा मजदूरी दी जायेगी।
- मजदूरी की राशि एक सप्ताह में मिलेगी। अगर 15 दिन में मजदूरी नहीं मिली तो मुआवजा मिलेगा।
- काम के दौरान चोट लगने पर बिना पैसे के इलाज और अपंग होने पर मुआवजा मिलेगा।
- गांव में जल, जंगल, जमीन से जुड़े काम और खेती तथा सड़क बनाने एवं सुधारने आदि के काम होंगे। ठेकेदारों से काम कराने पर रोक रहेगी।
- गांव में काम की देखरेख हेतु एक निगरानी समिति बनायी जायेगी, जिसमें मजदूरों, दलित, आदिवासी और महिलाओं को खासतौर पर शामिल किया जायेगा। यह समिति काम की निगरानी एवं देखरेख करेगी।
- ग्रामसभा गांव में कराये गये हर काम की जांच पड़ताल करेगी यानि क्या काम हुए, काम में कितने मजदूरों ने काम किया, सबको मजदूरी मिली की नहीं, आदि बातों पर ग्रामसभा में बातचीत होगी।

क्या करें—काम पाने के लिए

पंचायत में नाम लिखवाओ , 15 दिन में जॉबकार्ड पाओ

रोज़गार गारंटी योजना में काम मांगने वाले व्यक्ति के परिवार का पंचायत में नाम लिखा होना ज़रूरी है। परिवार का नाम पंचायत में दर्ज नहीं है तो पंचायत में नाम लिखाने के लिए आवेदन करें और उसकी पावती जरूर लें। पंचायत आवेदन पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई करेगी। ग्राम पंचायत में परिवार का नाम दर्ज होने के बाद 18 साल से उपर उम्र के सदस्यों के फोटो वाला जॉबकार्ड बनाकर देगी। इस कार्ड पर लगाने के लिए परिवार का फोटो पंचायत की तरफ से मुफ्त में खिंचवाया जाएगा। परिवार को कितने दिन और कब–कब काम मिला, इसकी जानकारी कार्ड में भरी जाएगी।

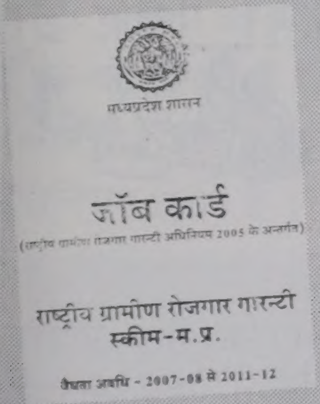

याद रखें जाबकार्ड के बारे में

- यह जॉबकार्ड पांच साल के लिए होगा। इसे संभालकर रखें। जाब कार्ड बनवाने के लिए किसी को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, यह मुफ्त में बनता है।
- अगर नाम लिखाने के बाद भी जॉबकार्ड नहीं मिला है, तो जनपद पंचायत में कार्यक्रम अधिकारी को शिकायत करें। वह 15 दिन के अंदर कार्यवाही करके जानकारी देंगे।
- एक बार जॉबकार्ड बनने के बाद भी उसमें नए नाम जोड़े या हटाए जा सकते हैं। इसके लिए भी आवेदन पंचायत में सरपंच या सचिव को देना होता है। नाम जोड़ने, काटने, सुधारने सम्बंधी मांग ग्रामसभा में रखी जाती है। इसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है ।
- जब कार्ड गुम होने, खराब होने पर 10 रूपये जमा करके नया कार्ड बनवाया जा सकेगा।

पलिया गांव में जाब कार्ड के लिए लगभग सभी परिवारों ने अर्जी दी। जो पढ़े लिखे नहीं थे, अपना नाम बोलकर नाम लिखवा दिया। सब ने अपने परिवार के 18 साल से ऊपर के सदस्यों के नाम एवं उम्र लिखवायी। कुछ परिवारों के नाम जो बाहर मजदूरी करने चले गये थे, सूची से छूट गये थे। वापस आने पर जब सचिव से मांग की तो उनके नाम भी जोड़े गये। पंचायत ने सबका फोटो खिंचवाकर सभी अर्जियों की जांच पड़ताल करके सही अर्जियों वाले परिवारों के 1 माह में जाब कार्ड बना तो लिए, पर उन्हें बांटा नहीं। अगले महीने ग्रामसभा में जब जनपद से आये नोडल अधिकारी ने कमलाबाई से पूछा कि जाब कार्ड मिल गया तो कमलाबाई ने बताया कि जाब काड़ तो अभी बना ही नहीं है। इस बात पर सचिव एवं सरपंच से पूछताछ हुई। सरपंच ने बताया कि जाबकार्ड तो सबके बन गये थे। कालू ने सवाल किया बन गये है तो कहां हैं, हमें तो मिले नहीं। इस पर सरपंच ने कहा कि सचिव ने जाबकार्ड संभालकर अपने पास रखे हैं। नोडल अधिकारी ने ग्रामसभा में सरपंच और सचिव को समझाया – आपकी जिम्मेदारी कार्ड बनवाकर लोगों में बांट देने की है। लोग अपनी जरूरत को देखते हुए काम की मांग आपसे करेंगे। जरूरत कितनी और कब है यह तो लोग ही तय करेंगे। अभी गांव में काम की मांग नहीं आयी है, इसलिए नहीं बांटा। सचिव ने कहा कि हम कल ही सबको जाब कार्ड बांट देंगे। इस तरह पलिया में जाबकार्ड सबको बंट गया।

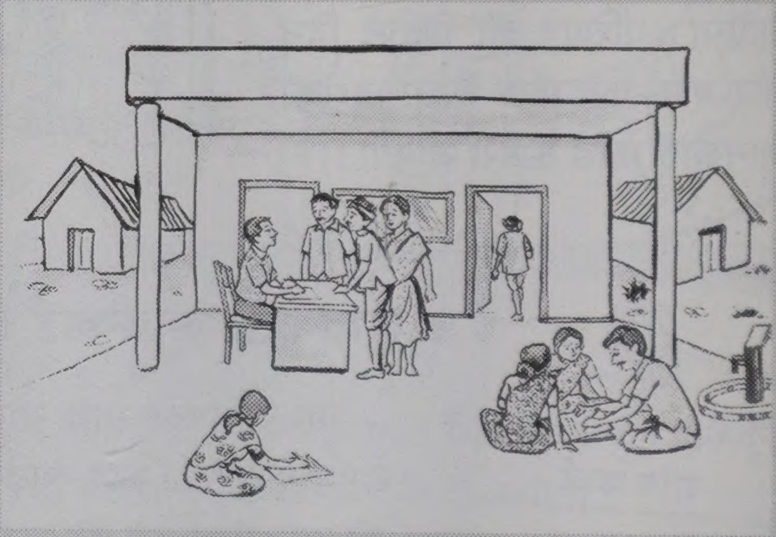

चर्चा के लिए सवाल

- क्या आपके गांव में सभी परिवारों का जाबकार्ड बना है, यदि नहीं बना है तो आप क्या करेंगे?
- क्या जाबकार्ड सचिव या सरपंच के पास ही रहते हैं?
- मजदूरी की जरूरत पड़ने पर आप क्या करते हैं?

भाग – 2 – काम कैसे मिलेगा

गांव के सभी परिवारों को काम की गारंटी है।

काम कैसे मिलेगा

इस योजना में गांव के हर व्यक्ति को काम मिलेगा। पर ध्यान रहे जाबकार्ड मिल जाना ही काम की गारंटी नहीं है। इसके लिए पंचायत में काम के लिए आवेदन देना होगा।

एक 'योजना' जो 'कानून' भी है

रोज़गार गारंटी योजना' के नाम से यह भ्रम है कि यह अन्य योजनाओं की तरह एक और रोज़गार योजना है। पर दूसरी योजनाओं और रोज़गार गारंटी योजना में खास फर्क है। यह योजना देश की संसद में एक कानून बनाकर लागू की गयी है। इस कानून ने गांव के लोगों को अपने गांव में रोज़गार का हक दिया है। लोग अपने गांव में ही अब काम की मांग कर सकते हैं। रोज़गार गारंटी योजना को बदलना या कम करना या काम देने से मना करना कानून तोड़ने के समान है जिससे नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस कानून का वास्तविक नाम 'राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम 2005 है'।

सौ दिन का काम मिलेगा

इस कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के काम का अधिकार दिया गया है। जैसे किसी परिवार में 18 साल से उपर उम्र के चार सदस्य हैं और वे अकुशल शारीरिक काम (मज़दूरी) करने को तैयार हैं तो उन्हें साल भर में कुल मिलाकर 100 दिन का काम दिया जाएगा। यदि काम है तो 100 दिन से ज़्यादा काम भी दिया जा सकता है। यहां परिवार का मतलब है पति–पत्नी और उनके बच्चे यानि एक परिवार। ऐसे व्यक्ति को भी परिवार में शामिल माना जायेगा जो कम या पूरी तरह से परिवार के मुखिया पर निर्भर हों। अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो वह भी एक परिवार माना जाएगा।

ध्यान रखें -

- काम मांगने पर ही मिलेगा
- आपके पास पंचायत द्वारा बनाया गया जॉबकार्ड है तो अब काम की म का लिखकर आवेदन पंचायत के सरपंच या सचिव को दे सकते हैं।
- आवेदन में अपना नाम, कार्ड का पंजीयन नम्बर, आवेदन देने की तारी काम कब से चाहिए एवं कितने दिन काम की ज़रूरत है यह अव लिखें।
- सरपंच या सचिव काम की मांग का आवेदन लेने से मना करते हैं आवेदन जनपद के कार्यक्रम अधिकारी सी.ई.ओ. या विकासख अधिकारी को भी दिया जा सकता है।
- आपके आवेदन पर कार्यवाही करके आपको लिखित रूप में सूचित कि जाएगा कि काम के लिए कहां और किससे सम्पर्क करना है। यह सूच सार्वजनिक रूप से पंचायत के सूचना बोर्ड पर भी लगाई जाएगी।

याद रखें : पावती बड़े काम की चीज़

अगर कोई पावती देने से मना करता है तो शिकायत करें या आवेदन पोस्ट

ऑफिस के माध्यम स रजिस्टर्ड डाक से पंचायत (सी.ई.ओ. या विकासखं अधिकारी) को भेजा ज सकता है। पोस्ट ऑफि की रसीद पावती के रूप मान्य होगी। काम नह मिलने पर बेरोज़गारी भ की मांग करते समय भ पावती का उपयोग होगा।

काम किसे मिलेगा

महिला, पुरुष : अमीर, गरीब : वृद्ध, विकलांग : रोज़गार गारंटी सबके लिए

यह योजना गांव के सभी परिवारों के लिए है। इस योजना में होने वाले हर कार्य में एक तिहाई महिलाओं को काम दिया जाता है। अकेली रहने वाली महिलाओं और वृद्ध महिलाओं को उनके गांव में ही काम दिलाने पर खास ध्यान दिया गया है। योजना में कहा गया है कि ऐसे लोगों की काम कुशलता को ध्यान में रखकर काम दिया जाए। मेट, लिखा–पढ़ी, बच्चे संभालना, जनपद तक जानकारी ले जाना, पानी पिलाना, दवा पेटी संभालना जैसे कई काम हैं जो इन्हें दिए जा सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं तभी की जाएंगी जब काम के स्थान पर काम कर रहे मज़दूरों की संख्या पर्याप्त होगी ।

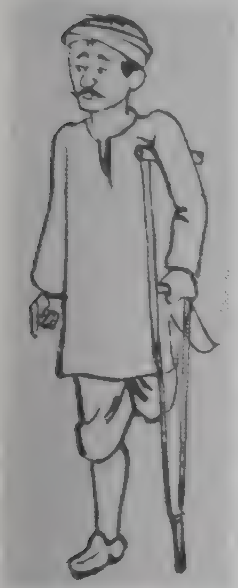

काम कब मिलेगा

हर आवेदक अपनी सुविधा एवं जरूरत के हिसाब से काम के दिन कब हों, ऐसी मांग कर सकता है। यह गांव में काम की योजना एवं काम मांगने वालों की संख्या के आधार पर पंचायत तय करती है कि काम कब खुलेगा। काम खुलने की जानकारी भी मजदूरों को पंचायत देती है। पर नियम के अनुसार रहे कि 15 दिन के अंदर काम मिलना जरूरी है।

काम कहां मिलेगा

जहां धाम : वहां काम

काम के लिए आवेदन करने पर जहां परिवार रहता है वहां या अधिकतम 5 कि.मी. के दायरे में काम दिया जाता है। अगर 5 कि.मी. के दायरे में काम नहीं है तो विकासखण्ड में कहीं और भी काम दिया जा सकता है। 5 कि.मी. से ज़्यादा दूर जाने पर मजदूरी के अलावा 10 प्रतिशत यानि कुल मजदूरी के दसवें हिस्से के बराबर राशि ज्यादा दी जायेगी।

काम न मिले तो क्या करें?

काम मांगने के दिन से 15 दिन तक अगर काम न मिले तो आवेदन कर वाला व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार है। बेरोजगारी भत्ता के लि ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा। इसके साथ आवेदन की तारीख औ उसकी पावती देना होगी।

याद रखें : बेरोज़गारी भत्ते के सन्दर्भ में

- अगर किसी व्यक्ति का पंचायत में नाम लिखा है, लेकिन जॉबकार्ड नहीं बना है, वह भी बेरोज़गारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकता है।
- अगर कोई व्यक्ति बीमार होने के कारण कुछ दिन काम पर नहीं गया है तो वह उतने दिनों के लिए भत्ता नहीं मांग सकता।
- अगर किसी के काम मांगने पर 15 दिन के अंदर उसे काम देने की सूचना दी जाती है और वह काम पर उपस्थित नहीं होता, तो उसे तीन माह के लिए बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलेगा।

- अगर किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा बताए गए स्थान पर काम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में उसे उस एजेन्सी से लिखित में लेना होगा कि वह काम नहीं दे सकती। बेरोज़गारी भत्ते के आवेदन के साथ ग्राम पंचायत के पत्र एवं जिसने काम के लिए मना किया उनका पत्र लगाना ज़रूरी होगा।
- अगर आवेदन पत्र अस्वीकृत होता है तो कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप में कारण बताना होगा।

सागली में काम खुला

सागली गांव में 26 लोगों ने मिलकर काम के लिए आवेदन दिया और सचिव से आवेदन की एक कापी पर तारीख डलवाकर पावती भी ले ली। रमई काका एवं बुधिया ने अकेले जाकर आवेदन किया था। पर कई गांव के लोगों ने एक साथ जाकर आवेदन दिया। काम कब से कब तक करना है, यह भी आवेदन में लिखा था। आवेदन देने गयी सोभतीबाई ने सचिव से पूछा कि काम कब तक मिलेगा। सचिव ने बताया कि हम सबके आवेदन देखकर एक साथ काम की तारीख तय करेंगे। पर गांव में 15 दिन बीत जाने के बाद भी काम नहीं खुला।

गांव में महिला मंच की बैठक में मंच की सदस्य कलावती ने गांव में काम न खुलने की बात कही। बुधिया ने कहा कि हमारी पिछले महीने की बैठक में जनपद से एक साहब और भैया आये थे, उन्होंने तो बताया था कि जब हम काम मांगेगे तो काम खुल जायेगा। मनियाबाई ने कहा कि हम सचिव से चलकर इसकी बात करेंगे कि हमारे गांव में काम क्यों नहीं खुला।

सखी मंच की 4 महिलाएं सचिव के पास गयीं और काम खुलने के बारे में पूछा। सचिव ने जवाब दिया कि अभी जनपद से काम का पैसा और मंजूरी नहीं आयी है। जैसे ही मंजूरी आयेगी काम खोल देंगे। कलावती ने सचिव से कहा कि काम नहीं खोला तो हम बिना काम के ही भत्ते के लिए आवेदन देंगे, ऐसा कानून बना है। इस बात को सुनकर सचिव थोड़ा परेशान हो गये और वह अगले ही दिन जनपद गये और काम की मंजूरी लाये। 3 दिन के अंदर ही गांव में काम खुल गया।

चर्चा के लिए सवाल

- **क्या आपके गांव में लोगों को काम मांगने पर मिला? काम मिलने में कितने दिन का समय लगा?**
- **काम मिलने में देर हुई तो आपने क्या किया?**

भाग – 3 – काम और दाम

काम की जगह पर सुविधाएं

रोज़गार गारंटी योजना के तहत जहां पर काम खुलेगा, वहां पर मज़दूरों के लिए कुछ जरूरी सुविधाएं होना तय किया गया है, जैसे –

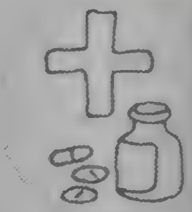

- आराम के लिए छाया की व्यवस्था और पीने का साफ पानी
- प्राथमिक इलाज या चोट लग जाने पर उपचार के लिए कुछ दवाएं।

- काम कर रही महिलाओं के साथ 6 वर्ष से कम उम्र के अगर 5–6 बच्चे हों तो उनकी देखभाल के लिए अलग से एक महिला को काम सौंपा जायेगा

काम की जगह दुर्घटना होने पर मुआवज़ा

काम के दौरान किसी अगर मज़दूर को चोट लग जाती है तो उसे पूरी इलाज की सुविधा दिलाई जायेगी। पूरी तरह से अपंग हो जाने या किसी की मृत्यु होने पर कायदे के अनुसार रु.25000 का मुआवज़ा देने का प्रावधान है। दोनों आंखें या दोनों हाथ या पांव अक्षम होने पर रु.15000 का मुआवज़ा दिया जायेगा। एक हाथ, एक पांव या एक आंख अक्षम होने पर रु.10000 तक की राशि राज्य शासन द्वारा तय करने पर दी जायेगी।

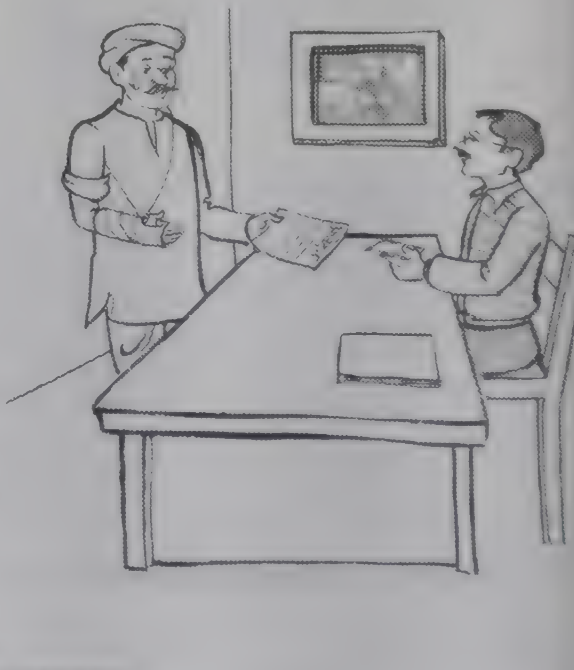

काम के बदले मजदूरी का भुगतान

मजदूरी नगद और हर सप्ताह दी जानी है। मज़दूरी हर हालत में 15 दिन के अंद दी जानी चाहिए। मजदूरी दिहाडी या किए गए काम पर आधारित दर से दी जा है। काम भी ऐसा दिया जाना है कि दिन में 7 घंटे काम करने वाले मजदूर न्यूनतम मजदूरी से कम आय का ना हो। न्यूनतम मजदूरी की दर हर जिले कलेक्टर द्वारा स्थानीय स्तर पर तय होती है। यह जिला या ब्लाक आफिस मालूम की जा सकती है। अधिक काम के लिए अधिक मजदूरी दी जा सकती

महिला, पुरुषों, विकलांगो की मजदूरी दर बराबर है। मजदूरी नगद और अनाज दोनों माध्यम से दी जा सकती है। लेकिन कम से कम एक चौथाई रुपयों में देना ज़रूरी है।

याद रखें : न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी

इस योजना में काम करने वाले मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी कानून 1948 के अनुसार प्रदेश शासन द्वारा तय न्यूनतम मज़दूरी मिलेगी। रोज़गार गारंटी योजना के अनुसार किए गए काम का भुगतान मज़दूर को हर सप्ताह या किसी भी हाल में काम करने की तारीख से 15 दिन के अंदर होगा। 15 दिन में मजदूरी न मिलने पर मज़दूरों को 'मज़दूरी मुआवज़ा कानून 1936' के नियमों के तहत मुआवज़ा पाने का हक होगा। समय से मजदूरी न मिलने पर जिले के श्रम अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं।

दानाखेड़ा में मजदूरी बांटी गयी

गांव दानाखेड़ा में काम मांगने पर पंचायत ने काम तो खोल दिया पर जब सातवें दिन मजदूरों ने मजदूरी मांगी तो सचिव ने कहा कि जब पैसा आया ही नहीं है तो हम कैसे मजदूरी बांटे, अभी इंजीनियर ने किये गये काम को पास ही नही किया है। जीजीबाई ने लगातार 6 दिन काम किया था। वह बोली हमने सुना था कि काम की मजदूरी हर हफ्ते मिलेगी। मातादीन ने कहा कि जब काम पास नहीं हुआ तो क्या आपने बात आगे लिखकर पहुंचायी है? सरपंच ने कहा कि मातादीन हमने आगे बात तो पहुंचा दी पर अभी इंजीनियर साहब बाहर चले गये हैं। कालू ने कहा कि हम सबको तो काम की मजदूरी चाहिए, अब आप जनपद जाकर मंजूरी लाओ। जब मजदूरी फिर भी 3 दिन तक नहीं मिली तो मातादीन गांव के युवा समूह को लेकर जनपद में सीईओ साहब के पास पहुंच गये।

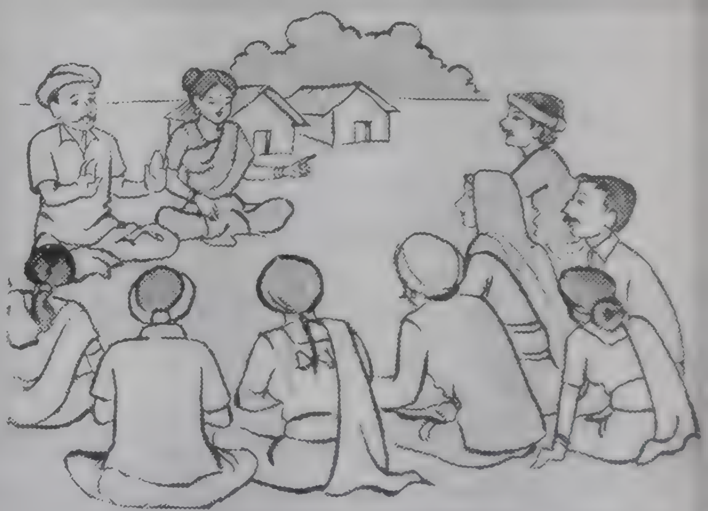

उन्होंने सीईओ साहब से कहा – साहब रोजगार कानून में तो हफ्ते हफ्ते मजदूरी मिल जानी चाहिए। हमारे गांव में तो 20 दिन गुजर जाने के बाद भी मजदूरी नहीं मिली है। सरपंच बतलाते हैं कि इंजीनियर साहब के पास टाइम नहीं है, आप ही बताइये हम घर पर आटा कैसे खरीदें।

सीईओ ने मातादीन और साथियों को बैठने को कुर्सी दी। फिर फोन लगाकर इंजीनियर साहब से बोले – दो दिन के अंदर दानाखेड़ा गांव में काम को चेक करके पास करें ताकि मजदूरी बंट सके। और हां आपके बारे में आगे से ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। बाकी दोनों इंजीनियर लोग तो बिलकुल समय से अपना काम कर रहे हैं। फिर आप क्यों पीछे रह जाते है।

चर्चा के लिए सवाल

- आपके गांव में मजदूरी समय से बंटती है?
- अगर मजदूरी बांटने में देरी हो रही है तो क्या करना चाहिए?

भाग - 4 - काम और निगरानी

गांव में क्या–क्या काम होंगे

रोजगार गारंटी योजना की एक खास बात यह भी है कि गरीबों को मजदूरी दिलवाने के साथ साथ उसकी मदद से गांव मे विकास भी बढना चाहिए। विकास को बढ़ावा देने के लिए जनपद की ओर से कामों की एक सूची बनायी गयी है। रोजगार गारंटी में इन्हीं कामों को प्राथमिकता दी जाती है। यह जरूरी है कि हर

गांव में ग्रामसभा और पंचायत के सदस्य चर्चा करके तय करें कि उनके गांव के लिए किन गामों की प्राथमिकता है। इन कामों की सूची पंचायत को पहले से बना लेनी चाहिए। फिर काम की मांग आने पर इसी प्राथमिकता के आधार पर करवाये जा सकते हैं। रोज़गार गारंटी योजना में जिन कामों को किया जाना है, वह इस प्रकार हैं –

- जल का बचाव एवं संबर्धन जलग्रहण आदि।
- सूखा रोकना एवं पेड़ लगाना।
- सिंचाई हेतु नहर की खुदाई
- भूमि सुधार एवं इंदिरा आवास के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. के हितग्राही परिवारों कि निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना ।
- परम्परागत जल स्रोतों को ठीक करना ।
- तालाबों की गाद निकालना ।
- भूमि का विकास एवं सुधार।
- बाढ़ से बचाव, जल जमाव क्षेत्रों में जल निकालने के लिए कार्य ।
- बारहमासी ग्रामीण सड़कें बनाना।
- राज्य सरकार की सलाह से केंद्र सरकार द्वारा बताए गए अन्य कार्य ।

काम केवल मजदूरों से ही

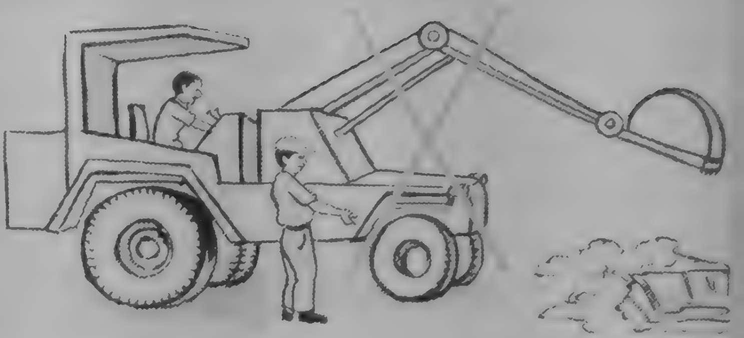

रोज़गार गारंटी योजना में ठेकेदार एवं मशीनों द्वारा काम कराने पर रोक है। अतः कोई भी काम ठेकेदारी पर नहीं कराया जा सकता। केवल ऐसे काम जो मजदूरों से नहीं किए जा सकते हैं, उनमें अनुमति लेकर मशीनों का उपयोग हो सकता है।

मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार योजना में काम की निगरानी

निगरानी समिति

इस योजना के तहत प्रारंभ किए गए कामों में जो मज़दूर काम कर रहे होते हैं, उनमें से कुछ सदस्यों को शामिल कर ग्रामसभा द्वारा निगरानी समिति बनाई जाती है। निगरानी समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को खास रूप से शामिल किया जाता है।

जाने निगरानी समिति के बारे में

- निगरानी समिति हर काम के लिए बनाई जाती है।
- समिति में सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।
- निगरानी समिति अपनी रिपोर्ट बनाकर ग्रामसभा में रखती है।
- समिति भुगतान के समय अपने सदस्यों को भुगतान स्थल पर भेज सकती है।
- काम में कितने मजदूर लगे हैं, क्या काम हो रहा है, समिति यह कार्यस्थल पर जाकर देख सकती है।
- पंचायत,संस्था या विभाग जो भी काम करवा रहा है निगरानी समिति उससे काम का पूरा ब्यौरा मांग सकती है।
- नियमानुसार पंचायत, संस्था, विभाग जो भी काम करवा रहा है उसे निगरानी समिति का प्रमाण पत्र प्राप्त करना ज़रूरी है।
- जॉबकार्ड मज़दूरों के पास है या पंचायत सचिव या सरपंच के पास हैं ? यह भी समिति देखती है।

क्या आपके गांव में किसी काम के लिए निगरानी समिति बनायी गयी ?वह क्या करती है ?

सामाजिक ऑडिट

अपना पैसा – अपना हिसाब

इस योजना में कामों का ऑडिट गांव के लोगों द्वारा करने की व्यवस्था की गई है। योजना में पैसा नियम कायदे से खर्च हो रहा है या नहीं, लागत उचित है या नहीं, काम के स्थान पर जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं, योजना से जुड़ी अन्य सभी बातों का उचित ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए एक खास समय पर कार्यों का सामाजिक ऑडिट करने का नियम इसमें रखा गया है। इस ऑडिट के लिए एक ग्रामसभा आयोजित की जाती है। इसमें योजना और कार्य से सम्बंधित सभी कागज, पत्र, रजिस्टर, रसीदें, सामग्री दर, कुल मज़दूरों को मिला काम, भुगतान की गई मजदूरी के बारे में जानकारी एवं रिकार्ड रखा जाता है। इसे गांव का हर व्यक्ति देख सकता है। सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट भी ग्रामसभा में रखी जाती है, उसे भी पढ़ा जा सकता है।

शिकायत का निपटारा

अपने गांव की ग्रामसभा के दौरान या पंचायत में किसी भी समय रोजगार गारं योजना से संबंधित किसी तरह की शिकायत की जा सकती है। ग्रामसभा पंचायत में शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो लोग आगे शिकायत कर सक हैं। जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी (जनपद के सीईओं कार्यक्रम अधिका होते हैं), अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला पंचायत सीईओ), जि कार्यक्रम समन्वयक (जिले के कलेक्टर) यां म. प्र. राज्य ग्रामीण रोजगार गारं परिषद, भोपाल को शिकायत की जा सकती हैं। कार्यक्रम अधिकारी शिकायत व रजिस्टर में लिखेंगे और 7 दिन के अंदर निपटारा करेंगे।

गांव पल्टीमाल में गांव के 50 से अधिक लोगों ने काम के लिए पंचायत में आवेदन किया और पावती ले ली। सचिव दीनानाथ ने सबके आवेदन तो ले लिए लेकिन काम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। गांव के युवा समूह के कुछ युवाओं ने भी काम के लिए आवेदन किया था। उन्होंने आपस में चर्चा की कि काम तो पंचायत खोल ही नहीं रही। फिर हमें बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन देना चाहिए। सबने मिलकर बेरोजगारी भत्ते के लिए सचिव को आवेदन दिया तो सचिव ने आवेदन लेने से मना कर दिया। पप्पू ने कहा कि हम जनपद में आवेदन कर सकते हैं, सभी ने जनपद जाकर आवेदन जमा किया और साथ ही यह भी शिकायत लिखकर दी कि पल्टीमाल में पंचायत ने काम भी नहीं खोला और बेरोजगारी भत्ते का आवेदन भी नही ले रहे हैं। इस पर सीईओ ने सचिव को बुलवाकर काम जल्दी खुलवाने का आदेश दिया और बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति भी दी। सीइओ ने कहा कि आवेदन न लेने की शिकायत की जांच करायी जायेगी।

क्या आपके गांव में किसी ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया, यदि हां तो आपको भत्ता मिला?

भाग – 5 – कार्य की योजना बनाना और अन्य जरूरी बातें

योजना में काम कैसे होता है

ग्राम पंचायत द्वारा मध्यप्रदेश रोज़गार गारंटी योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों की पूरे साल की कार्ययोजना तैयार की जाती है। पंचायत की कार्ययोजना अप्रैल से मार्च तक के लिए बनाई जाती है। गांव के लोग अपनी ग्रामसभा में यह तय करते हैं की गांव में कौन–कौन से काम होने हैं। ग्रामसभा इन कामों को करने का प्रस्ताव पास करती है। फिर ग्राम पंचायत इन कामों की कार्ययोजना तैयार ग्रामसभा से उन्हें मंजूर करवाती है। मंजूर होने के बाद ग्राम पंचायत कार्ययोजना जनपद पंचायत को भेजती है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बैठक में मंजूर होने के बाद योजना लागू होती है। मंजूरी के बाद पंचायत अपने गांव में काम शुरू करवाती है।

तकनीकी सहायता एवं मूल्यांकन

ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता के लिए सब इंजीनियरों को जबावदारी दी है । सब इंजीनियर कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने में पंचायतों की सहायता करेंगे साथ ही पंचायतों में चल रहे कामों का तकनीकी मूल्यांकन करते हैं।

रोज़गार गारंटी योजना में ग्राम पंचायत की ज़िम्मेदारी

गांव इस योजना को लागू करने में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायत को निम्नलिखित काम करने होते हैं–

- गांव में परिवारों का नाम दर्ज करना।
- जिन परिवारों का नाम लिखा हुआ है उनको जॉबकार्ड देना।
- 18 लोगों द्वारा रोज़गार के लिए दिए गए आवेदन लेना एवं उन्हें काम कहां मिलेगा यह जानकारी देना
- ग्रामसभा के फैसले के अनुसार कामों के प्रस्ताव तैयार करना।
- काम के लिए आये आवेदन की जानकारी जनपद पहुंचाकर ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित काम अपने गांव में शुरू करने की मांग जनपद में करना।
- जो काम होना है उस काम का पूरा एस्टीमेटस ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सब इंजीनियर द्वारा तैयार करवाना।
- निर्माण कार्य के एस्टीमेटस में मज़दूरी, सामग्री एवं अन्य मद में होने वाले अनुमानित खर्च का उल्लेख करना।
- कार्यक्रम अधिकारी / विकास खण्ड अधिकारी द्वारा मंजूर काम शुरू करवाना।
- अपने क्षेत्र में किए जा रहे कामों की निगरानी करना।

इसके अलावा जनपद व जिला पंचायत की योजना बनाने एवं उसको लागू करने में अहम भूमिका होती है। साथ ही जनपद व जिला पंचायत के द्वारा काम की निगरानी भी की जाती है। जिले के कलेक्टर जिले में बनने वाली योजना की प्रशासकीय मंजूरी जारी करते हैं एवं किये जाने कामें के मूल्यांकन एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था करते हैं।

राज्य स्तर पर काम की योजनाए काम की देखरेख और निगरानी के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद बनायी गयी है जो योजना के संचालन के लिए राज्य शासन को सलाह देगी एव केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद से आवश्यक समन्वय करेगी। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सुचारू संचालन के लिए म.प्र. रोजगार गारंटी प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। यह एक सशक्त समिति है जिसके फैसले योजना के संबंध में अंतिम होते हैं।

शिकायत निपटाने की समिति–

पंचायत स्तर पर इस योजना में हर स्तर पर शिकायतो के निपटारे का तरीका बनाया गया है । हर स्तर पर यानि ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक शिकायत पुस्तिका रखी जाती है, कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत इस पुस्तिका मे दर्ज करा सकता है। हर छः माह में ग्रामसभा किए गए कामों की जाच पडताल करती है। कोई गडबड़ी होने पर ग्रामसभा प्रस्ताव पास कर अनुविभागीय अधिकारी(एसडीएम) को भेजती है। शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी जांच समिति का गठन करता है। समिति में उसी पंचायत का एक पंच जो निर्माण एवं विकास समिति का सदस्य ना हो, जनपद का सब इंजीनियर, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांकित एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होता है। उस पंचायत क्षेत्र के जनपद सदस्य और संबंधित विभाग के ब्लाक स्तरीय अधिकारी भी समिति में रहते हैं। जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद उसे सचिव द्वारा ग्रामसभा में पढ़कर सुनाया जाता है । यदि ग्रामसभा तय करती है तो

प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यदि ग्रामसभा मानती है कि गड़बड़ी हुई है तो वह अनुविभागीय अधिकारी को कार्यवाही की अनुशंसा करती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40, 89, 92 या 100 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाती है।

· **जनपद स्तर** पर या कार्यक्रम अधिकारी (सीईओ जनपद पंचायत)की शिकायत पाये जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) जांच समिति गठित करता है। जांच समिति अपनी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम समन्वय को देती है और कोई कर्मचारी दोषी पाये जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है या संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजता है।

· **जिला पंचायत स्तर** पर या जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर अथवा सहायक कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर संभाग आयुक्त एक जांच समिति का गठन करता है। सरकारी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर संभाग आयुक्त स्वयं अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं अथवा सम्बंधित विभाग के सक्षम अधिकारी को भेजते हैं।

राज्य स्तर पर शिकायतों का निपटारा मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी प्राधिकरण करता है।

क्रियान्वयन एजेंन्सी के विरूद्ध शिकायत जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर एक समिति का गठन करते हैं। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर जांच रिपोर्ट कार्यवाही हेतु संभाग आयुक्त को भेजते हैं। साथ ही एक प्रति अपने मत सहित प्रमुख सचिव पचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजते हैं। मज़दूरी न मिलने एवं मस्टर रोल में गड़बड़ी की शिकायत को पहले हल किया जाता है। इन शिकायतों को 15 दिन के अंदर निपटाए जाने का नियम है। यदि गंभीर वित्तीय पैसे के संबंध में भ्रष्टाचार अपराध पाया जाता है, तो थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाती है। शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी तत्काल प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को भेजी जाती है।

मध्यप्रदेश ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत नाम लिखाने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का नाम ....

आवेदक की आयु ....

लिंग पुरुष / महिला ....

निवास स्थान ....

ग्राम पंचायत ....

जनपद पंचायत ....

अजा. / अ.ज.जा. / इआयो / ....

भूमि सुधार हितग्राही ....

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी में सत्य है ।

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

दिनांक ....

COMMUNITY HEALTH CELL
LIBRARY AND INFORMATION CENTRE
BANGALORE-34

DEI-110
12105 P08

ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत रोज़गार हेतु आवेदन–पत्र

आवक क्र. .... दिनांक ....

प्रति,

ग्राम पंचायत कार्यालय

ग्राम ....

पंचायत ....

विकास खण्ड ....

विषय :– ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत मज़दूरी करने हेतु आवेदन पत्र ।

मैं अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत रोज़गार हेतु आवेदन दे रहा हूं।

नाम .... पिता / पति ....

निवासी ....ग्राम .... पंचायत ....

तहसील .... जिला ....

ग्राम पंचायत का नाम ....

जॉबकार्ड नम्बर ....

किस दिनांक से कार्य करना चाहते हैं ....

कितने दिन काम चाहते हैं ?..................................

आवेदनकर्ता

अंगूठा / दस्तखत

रोज़गार दिलाने हेतु आवेदन पत्र की पावती

प्रमाणित किया जाता है कि रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत श्री / श्रीमति / कु. ....निवासी .... से रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र दिनांक ....को प्राप्त किया गया। आवेदक का नाम रोज़गार गारंटी योजना अंतर्गत ग्राम .... में दर्ज है। उनका पंजीयन क्रमांक .... है एवं रोज़गार पत्र जारी होने का दिनांक ....व क्रमांक .... है ।

स्थान ....   दिनांक ....

कार्यक्रम अधिकारी

हस्ताक्षर

पदनाम / सील

कार्य पर आने होने हेतु सूचना

प्रति,
श्री / श्रीमती / कु. ....
पंजीयन क्रमांक .... उम्र .... जनपद पंचायत ....
....

संदर्भ :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु
आपका पत्र दिनांक ....

आपको सूचित किया जाता है कि, कृपया आप निम्नलिखित कार्य स्थल प
पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर क्रियान्वयन अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि
के सामने उपस्थिति दें।

कार्यस्थल ....
स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर एवं मुद्रा

सरपंच ग्राम पंचायत

कार्यक्रम अधिकारी
जनपद पंचायत

बेरोज़गारी भत्ते हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

कार्यक्रम अधिकारी

जनपद पंचायत ....

जिला ....

विषय :– बेरोज़गारी भत्ते के भुगतान हेतु आवेदन पत्र ।

निवेदन है कि बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान करने हेतु मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है ।

1. नाम ....

2. पता ....

3. लिंग ....4. उम्र ....

5. पंजीयन क्रमांक ....6. पंजीयन तिथि ....

7. रोज़गार पत्र क्रमांक ....

8. रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की तिथि एवं जिसे प्रस्तुत किया गया उसका नाम ....

9. कितने दिवसों के लिए बेरोज़गारी भत्ते का दावा किया गया ....

10.बेरोज़गारी भत्ते का दावा किस दिनांक से किया गया ....

घोषणा पत्र

मैं .... निवासी ....

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में बेरोज़गारी भत्ते हेतु दावा किए गए समय में मुझे कोई भी रोज़गार उपलब्ध नहीं था। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि यह सिद्ध होता है कि उक्त समय में मुझे रोज़गार प्राप्त था, तो शासन से प्राप्त बेरोज़गारी भत्ते की राशि को मेरे द्वारा शासन के पक्ष में वापस कर दिया जाएगा ।

आवेदनकर्ता

बेरोज़गारी भत्ता स्वीकृति आदेश

प्रति,

पंजीकरण अधिकारी
ग्राम पंचायत ....
जनपद पंचायत ....

श्री / श्रीमति / कुमारी .... पंजीयन क्रमांक .... रोज़गार पत्र क्रमांक ....निवासी ग्राम .... दिनांक से .... दिनांक तक ....
बेरोज़गार भत्ते की राशि रू. .... के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

दिनांक ....

 स्थान ....

कार्यक्रम अधिकारी
हस्ताक्षर / पदनाम / सील

प्रतिलिपि :–
श्री / श्रीमति / कुमारी ....
निवासी ग्राम .... द्वारा
बेरोज़गारी भत्ते हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बंध में सूचनार्थ ।

कार्यक्रम अधिकारी
हस्ताक्षर / पदनाम / सील

संदर्भ सामग्री –

1. हक की बात, विकास संवाद, भोपाल का प्रकाशन
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, भारत सरकार
3. मेरा काम मेरा अधिकार, संभव शिक्षा एवं जनोन्नयन समिति, जयपुर का प्रकाशन
4. रोजगार का कानून, प्रगति ग्रामीण विकास संस्था, बैतूल का प्रकाशन

विकास एवं पंचायत श्रंखला की अन्य किताबें

1. ग्रामसभा में महिलाएं
2. लोगों द्वारा आंगनवाड़ी की देखरेख
3. लोगों द्वारा राशन की दुकान की देखरेख
4. जानकारी लेने का अधिकार

यह किताब किसके लिए है

1. यदि आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं
2. यदि आप रोजगार गारंटी के तहत बनायी गयी निगरानी समिति के सदस्य हैं
3. यदि आप गांव में रहते / रहती हैं
4. यदि आप स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं

यह पुस्तक आपको कैसी लगी

पुस्तक के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें लिखें तो इस किताब को आगे और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित जो भी अनुभव एवं सुझाव आपके हैं, हमें जरूर लिख भेजें।

संपर्क पता – **समावेश**
ई–1 / 138, अरेरा कालोनी, भोपाल
फोन : 0755–2467552 फैक्स : 0755–4276468
Email : samaveshmp@rediffmail.com